कम होता काम:
राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा
(वित्त वर्ष 2024-25)

लिबटेक इंडिया

10 अप्रैल, 2025

ईमेल : contactus@libtech.in | +91 92465 22344

http://libtech.in/ @LibtechIndia @LibtechIndia @libtechindia

भूमिका

इस रिपोर्ट में हमने वित्तीय वर्ष 2024-25[1] के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा कार्यान्वयन की स्थिति पर जानकारी संकलित की है, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के आँकड़ों के साथ एक तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रदान किया है। इस विश्लेषण के लिए इस्तेमाल डेटा का स्रोत मनरेगा की आधिकारिक वेब-साइट https://nrega.nic.in/ है। इस विश्लेषण में 07-04-2025 तक का डेटा शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में हमारा उद्देश्य नागरिकों और हित-धारकों को राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में अहम जानकारी प्रदान करना है, जिससे मनरेगा की प्रगति पर प्रकाश डाला जा सके। इस रिपोर्ट से आपका जुड़ाव ज़रूरी है ताकि देश में मनरेगा कार्यान्वयन की पेचीदगियों की व्यापक समझ को बढ़ावा मिल सके।

सार्थक विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए, इस रिपोर्ट में कुछ राज्यों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय रुझानों में उनका योगदान बहुत कम है। इस रिपोर्ट से बाहर रखे गए राज्यों की सूची में अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।

लिबटेक का परिचय

हम इंजीनियरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज-विज्ञानियों की एक टीम हैं जो भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं। हम देश के कई राज्यों में 10 से अधिक वर्षों से एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं - हालाँकि व्यक्तिगत रूप से, हम में से कुछ लोग काफ़ी पहले से इस काम में संलग्न हैं।

पिछले कुछ वर्षों में हम लगातार मनरेगा के क्रियान्वयन पर कई रिपोर्ट्स (कुछ राष्ट्रीय तो कुछ राज्य-स्तरीय) जारी करते रहे हैं। हमारी कुछ रिपोर्ट्स का ज़िक्र मीडिया में किया गया है, और हमारी नीतिगत सिफ़ारिशों पर राज्य सरकारों और ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) ने विचार भी किया है और कुछ मामलों में उन्हें अपनाया भी है, जो कल्याणकारी शासन के इर्द-गिर्द विमर्श को आकार देने में हमारे काम के प्रभाव को दर्शाता है।

[1] 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक।

1. मुख्य निष्कर्ष

- वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत परिवारों की संख्या में 8.6% की वृद्धि हुई हालाँकि इससे रोज़गार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। **[**खंड **2:** रोज़गार सृजन**,** तालिका **1]**
- सृजित व्यक्ति दिवसों में 7.1% की गिरावट (288.83 से 268.44 करोड़) और प्रति परिवार औसत रोज़गार दिवसों में 4.3% की गिरावट आई। **[**खंड **2:** रोज़गार सृजन**,** तालिका **1]**
- रोज़गार पाने वाले परिवारों की संख्या में 2.9% की गिरावट (5.51 करोड़ से 5.35 करोड़)। **[**खंड **2:** रोज़गार सृजन**,** तालिका **1]**
- केवल 7% परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा किया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 7.6% के आँकड़े से कम है। **[**खंड **2:** रोज़गार सृजन**,** तालिका **1]**
- रोज़गार में सबसे ज़्यादा गिरावट वाले राज्यों में ओडिशा (34.8%), तमिलनाडु (25.1%), और राजस्थान (15.9%) शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र (-39.7%), हिमाचल प्रदेश (-14.8%), और बिहार (-13.3%) में रोज़गार में बढ़ोतरी हुई। **[**अनुलग्नक **1]**
- वित्त वर्ष 2024-25 में 1.16 करोड़ जॉबकार्ड और 1.31 करोड़ श्रमिकों की शुद्ध वृद्धि देखी गई, वहीं वित्त वर्ष 2022-2024 के दौरान बड़े पैमाने पर (7.8 करोड़) श्रमिकों का विलोपन हुआ था । **[**खंड **3:** श्रमिकों का हटाया जाना**]**
- श्रमिकों को जोड़ने का काम वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में ज़्यादा हुआ, सम्भवतया ऐसा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हटाए गए जॉब कार्डों को बहाल करने सम्बंधी SOP का जारी करना रहा। **[**खंड **3:** श्रमिकों का हटाया जाना**]**
- हटाए गए लोगों की संख्या में इस उलटफेर से रोज़गार में वृद्धि नहीं हुई, जो कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं को रेखांकित करता है। **[**खंड **3:** श्रमिकों का हटाया जाना**;** खंड **2:** रोज़गार सृजन**]**
- सभी श्रमिकों में से 27.5% और सक्रिय श्रमिकों में से 1.6% ए.बी.पी.एस. के लिए अपात्र रहे, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत मामूली सुधार है। **[**खंड **4:** ए.बी.पी.एस. अपात्रता**,** तालिका **2]**
- महाराष्ट्र (63.4%), गुजरात (58.1%), और झारखंड (38.1%) में एबीपीएस के लिए अपात्र श्रमिकों का अनुपात सबसे अधिक है। **[**अनुलग्नक **2]**
- फ़ील्ड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के आश्वासनों के बावजूद ए.बी.पी.एस. के लिए अपात्र श्रमिकों को काम से वंचित रखा जाता है। **[**खंड **4:** ए.बी.पी.एस. अपात्रता**]**
- ए.बी.पी.एस. के ज़रिए खाता-आधारित प्रणालियों की तुलना में कोई महत्वपूर्ण दक्षता लाभ नहीं हुआ है, जिससे इस बदलाव के औचित्य पर प्रश्न खड़े होते हैं - लिबटेक इंडिया का अध्ययन। **[**खंड **4:** ए.बी.पी.एस. अपात्रता**]**
- तीन साल से भी ज़्यादा समय से केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को मनरेगा के लिए दिए जाने वाले फ़ंड्ज़ को रोक रखा है।

मनरेगा अधिनियम (2005) के ज़रिए 'काम के अधिकार' को मान्यता दिए जाने को क़रीब 20 साल हो चुके हैं। मनरेगा एक माँग-संचालित कार्यक्रम है जो देश के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों के मैनुअल काम की गारंटी देता है। आगामी खंडों में, हम देश भर में मनरेगा कार्यान्वयन में रोज़गार सृजन, श्रमिकों और जॉब कार्डों के हटाए जाने और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) पर थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे ताकि इनकी बारीकियों को समझा जा सके और उचित नीतिगत सिफ़ारिशें की जा सकें।

2. रोज़गार सृजन

वित्त वर्ष ***2024-25*** में व्यक्ति दिवसों में लगभग ***7%*** की गिरावट दर्ज की गई

वित्त वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों में 8.6% की वृद्धि के बावजूद, रोज़गार सम्बंधी आँकड़े चिंताजनक गिरावट की ओर इशारा करते हैं जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है। सृजित व्यक्ति दिवसों में 7.1% की गिरावट आई, प्रति परिवार रोज़गार के औसत दिनों में 4.3% की गिरावट आई और केवल 7.0% परिवारों ने 100 दिन पूरे किए - जो योजना के कवरेज और इसके वितरण के बीच बेमेल को दर्शाता है। इससे प्रणालीगत और कार्यान्वयन-स्तर की चुनौतियों सम्बंधी सवाल भी खड़े होते हैं जो इस कार्यक्रम को प्रभावी बनने से रोकते हैं। क्षेत्रीय पैटर्न भी अलग-अलग रहे — ओडिशा, तमिलनाडु और राजस्थान में व्यक्ति दिवसों में सबसे तेज़ गिरावट देखी गई, जबकि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और बिहार में वृद्धि दर्ज की गई। राज्यवार विवरण के लिए अनुलग्नक 1 देखें।

कृपया ध्यान दें कि वित्त वर्ष *2023-24* और *2024-25* में पश्चिम बंगाल में कोई रोज़गार सृजन नहीं हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च *2022* से ही मनरेगा कानून की धारा *27* का हवाला देकर पश्चिम बंगाल के मनरेगा आवंटन को रोक रखा है।

	वित्त वर्ष **2023-24** **(ए)**	वित्त वर्ष **2024-25** **(बी)**	गिरावट **(%)** **(ए-बी)/ए)*100**
पंजीकृत परिवार (करोड़ में)	13.80	14.98	-8.6
काम करने वाले परिवारों की संख्या (करोड़ में)	5.51	5.35	2.9
सृजित व्यक्ति दिवस (करोड़ में)	288.83	268.44	7.1
प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए रोज़गार के औसत दिन	52.42	50.18	4.3
100 दिन का रोज़गार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या (करोड़ में)	0.42	0.37	11.9
% परिवारों ने 100 दिन पूरे किए	7.6	7.0	–

तालिका **1:** वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सृजित रोज़गार की तुलना

वैसे तो मनरेगा के तहत काम की माँग अलग-अलग कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन पिछले कुछ अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि बजट में कटौती और मज़दूरी भुगतान में देरी समग्र रोज़गार में कमी के अहम कारण हैं। फ़रवरी 2024 में ग्रामीण विकास पर संसद की स्थायी समिति ने भी केंद्र सरकार द्वारा बजट आवंटन में कटौती और योजना की प्रगति पर इसके प्रभाव पर चिंता जताई थी।

पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीएईजी) ने वित्त वर्ष 2022-23 में ही मनरेगा के लिए 2.64 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन की सिफ़ारिश की थी। हालाँकि, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केवल 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा बजट में संशोधन नहीं किया, जो कि पहले चली आ रही प्रथा से अलग है।

3. श्रमिकों का हटाया जाना

वित्त वर्ष ***2024-25*** में ***1.16*** करोड़ जॉबकार्ड और ***1.31*** करोड़ श्रमिकों की शुद्ध वृद्धि

वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 यानी केवल 24 महीनों की अवधि में देश भर में लगभग 7.8 करोड़ मनरेगा श्रमिकों को डेटाबेस से हटाया गया। हालाँकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले कहा है कि श्रमिकों का हटाया जाना और जोड़ा जाना एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में मनरेगा से 5.40 करोड़ और 2.37 करोड़ श्रमिकों को हटाया गया, जबकि इस दौरान केवल 97 लाख और 95 लाख श्रमिकों को जोड़ा गया, जो इन दोनों पैमानों के बीच बहुत बड़े अंतर को दर्शाता है। जॉबकार्ड सम्बंधी आँकड़ों को देखें तो केवल 56.36 लाख और 55.26 लाख जॉब कार्ड जोड़े गए, जबकि हटाए गए जॉब कार्ड की संख्या उसी अवधि यानी वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 2.23 करोड़ और 0.98 करोड़ थी।

	जॉबकार्ड (करोड़ में)	श्रमिक (करोड़ में)
वित्त वर्ष **2024-25** में पंजीकृत	14.98	25.20
वित्त वर्ष **2024-25** में हटाए गए **(ए)**	0.33	0.91
वित्त वर्ष **2024-25** में जोड़े गए **(बी)**	1.49	2.22
शुद्ध बढ़त **(बी-ए)**	1.16	1.3 1

तालिका **2:** वित्त वर्ष 2024-25 में जॉबकार्ड और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि और कमी

हालाँकि, वित्त वर्ष 2022-23 के बाद पहली बार, वित्त वर्ष 2024-25 में यह प्रवृत्ति उलट गई, जहाँ हटाए जाने की तुलना में अधिक जॉबकार्ड और श्रमिक जोड़े गए, जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रवृत्ति में यह उलटफेर वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में ही हुआ है, क्योंकि पहली छमाही में श्रमिकों के जुड़ने की तुलना में अधिक विलोपन (श्रमिकों या जॉब कार्डों का हटाया जाना) देखा गया था। इस बदलाव का श्रेय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा हटाए गए जॉब कार्ड और श्रमिकों की बहाली पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने को दिया जा सकता है।

यूँ तो यह उन श्रमिकों को पुनः काम पर रखने की दिशा में एक सकारात्मक प्रगति है जिन्हें ग़लत तरीक़े से हटा दिया गया था, लेकिन इससे श्रमिकों के लिए काम के अवसरों में कोई सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि सभी रोज़गार संकेतकों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जैसा कि पिछले खंड में चर्चा की गई है

4. एबीपीएस अपात्रता

सभी श्रमिकों में से ***27.52%*** और सक्रिय श्रमिकों में से ***1.58%*** एबीपीएस के लिए अपात्र हैं

आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा वेतन/सब्सिडी को आधार से जुड़े ऐसे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) मैपर के साथ मैप किया जाता है। 2022 में, केंद्र सरकार ने MGNREGA में ABPS प्रणाली के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण और NPCI मैपिंग की शुरुआत की। नागरिक समाज संगठनों और श्रमिक संघों के दबाव के कारण इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया। हालाँकि, जनवरी 2024 से ABPS अनिवार्य हो गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले तर्क दिया था कि आधार प्रमाणीकरण प्रणाली से 'नकली' या 'भूतिया' श्रमिकों की पहचान करने में मदद होती है। हालाँकि, देश भर में हटाए गए श्रमिकों/कार्डों के एक रैंडम सैम्पल के लिबटेक इंडिया द्वारा किए विश्लेषण में पाया गया कि इनका केवल एक छोटा-सा हिस्सा 'नकली आवेदक' या 'नकली जॉबकार्ड' से संबंधित है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह भी तर्क रहा है कि एबीपीएस प्रणाली खाता-आधारित भुगतान प्रणाली की तुलना में अधिक कुशल है। लेकिन, लिबटेक इंडिया के अध्ययन में पाया गया कि अस्वीकृत भुगतानों का अनुपात और भुगतान में देरी के सम्बंध में खाता-आधारित प्रणाली और एबीपीएस के बीच सांख्यिकीय रूप से कोई बड़ा अंतर नहीं है, और इसलिए यह इस दावे का समर्थन नहीं करता है कि एबीपीएस अधिक कुशल है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने लगातार एबीपीएस को अनिवार्य न बनाने और श्रमिकों के लिए वैकल्पिक भुगतान पद्धतियाँ उपलब्ध कराने की सिफ़ारिश की है। समिति ने परिचालन चुनौतियों के कारण असल श्रमिकों के रोज़गार से वंचित रह जाने पर भी ग़ौर किया। लिबटेक इंडिया के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि सार्वभौमिक एबीपीएस पात्रता को पूरा करने के लिए फ्रंट लाइन अधिकारियों पर अनुचित लक्ष्य थोपना देश में श्रमिकों के डेटाबेस से हटाए जाने की दर में वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार प्रमुख कारणों में से एक था।

	सभी श्रमिक (करोड़ में)	सक्रिय श्रमिक (करोड़ में)
कुल श्रमिकों की संख्या (ए)	25.22	10.79
ए.बी.पी.एस के लिए पात्र (बी)	18.28	10.62
ए.बी.पी.एस के लिए अपात्र (सी)	6.94	0.18
ए.बी.पी.एस. के लिए अपात्र श्रमिकों का प्रतिशत (सी/ए)*100	27.52%	1.58%

तालिका **3:** 7 अप्रैल 2025 तक सभी श्रमिकों और सक्रिय श्रमिकों के लिए एबीपीएस पात्रता

एबीपीएस को अनिवार्य बनाने के लिए अतीत में कई बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद, पिछले साल 8 अप्रैल 2024 को सभी श्रमिकों में से 31% और सक्रिय श्रमिकों में से 8% एबीपीएस के लिए अपात्र थे।[2] हालाँकि उसके बाद एक साल में स्थिति में कुछ सुधार ज़रूर हुआ, लेकिन 7 अप्रैल 2025 तक भी सभी श्रमिकों में से 27.5% और सक्रिय श्रमिकों में से 1.6% अभी भी अपात्र थे, जैसा कि तालिका 3 में दिखाया गया है। यूँ तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अतीत में कहा है कि एबीपीएस की अपात्रता से काम का नुक़सान नहीं होगा लेकिन 10 अलग-अलग राज्यों के 200 मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि एबीपीएस के लिए अपात्र श्रमिकों को फ्रंट लाइन अधिकारी इस डर से काम नहीं देते कि उन्हें उनका वेतन नहीं मिलेगा और इस तरह उनके 'काम के अधिकार' को धता बता दिया जाता है।

राज्य स्तर पर, महाराष्ट्र के बाद गुजरात और झारखंड में ए.बी.पी.एस. के लिए अपात्र सभी श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब में सबसे अधिक सक्रिय श्रमिक ए.बी.पी.एस. के लिए अपात्र हैं। सभी राज्यों के ए.बी.पी.एस. डेटा के लिए अनुलग्नक 2 देखें।

5. निष्कर्ष

चूँकि मनरेगा को लागू हुए दो दशक होने वाले हैं, इस वर्ष की हमारी यह राष्ट्रीय समीक्षा न केवल चिंतन बल्कि पुनर्संतुलन के लिए भी एक मौक़ा देती है। डेटा से पता चलता है कि प्रशासनिक बदलाव, नीतिगत निर्णय और प्रणालीगत कठोरता कार्यक्रम के परिणामों पर उतना ही असर डाल रहे हैं जितना ज़मीनी स्तर की माँग और आवश्यकता। भले ही आँकड़ों में उतार-चढ़ाव हो रहा हो - पंजीकरण बढ़ रहे हों, जॉब कार्ड बहाल हो रहे हों और भुगतान प्रणाली विकसित हो रही हो - लेकिन लगातार संरचनात्मक चुनौतियाँ इस योजना की बदलाव लाने की क्षमता को कमज़ोर कर रही हैं।

मनरेगा की निरंतर प्रासंगिकता सम्मानजनक ग्रामीण रोज़गार का भरोसा देने वाले इसके वादे में निहित है। वर्तमान संदर्भ में इस वादे को साकार करने के लिए तकनीकी सुधारों या विकसित प्रोटोकॉल के अनुपालन से कहीं अधिक की आवश्यकता है; इसके लिए कानून की भावना के प्रति पुनः प्रतिबद्धता की आवश्यकता है यानी - सार्वभौमिक पहुँच, उत्तरदायी शासन और भागीदारीपूर्ण जवाबदेही। इसके लिए, आने वाले वर्षों में नियमित वित्त पोषण, समावेशी तकनीकी प्रणालियों और श्रमिक-केंद्रित कार्यान्वयन ढाँचों पर पुनः ज़ोर देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, क्रियान्वयन-कर्ताओं और नागरिकों के लिए एक आमंत्रण है: कि वे न केवल मनरेगा की प्रगति पर नज़र रखें, बल्कि इसे ग्रामीण आजीविका में न्याय, लचीलेपन और समानता की ओर सक्रिय रूप से ले जाएँ।

यह रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम:

चक्रधर बुद्ध | शमाला कित्ताने | राहुल मुकेरा

[2] देश के सभी राज्यों के लिए।

अनुलग्नक 1

करोड़ों में

राज्य	रोज़गार प्राप्ति **(2023-24)**	रोज़गार प्राप्ति **(2024-25)**	गिरावट %
	कुल व्यक्ति दिवस	कुल व्यक्ति दिवस	
आंध्र प्रदेश	25.55	24.23	5.2
बिहार	22.05	24.99	-13.3
छत्तीसगढ	12.77	13.22	-3.5
गुजरात	4.93	4.31	12.6
हरियाणा	1.23	1.18	4.1
हिमाचल प्रदेश	3.44	3.95	-14.8
जम्मू और कश्मीर	3.75	4.08	-8.8
झारखंड	10.97	10.09	8.0
कर्नाटक	13.85	13.14	5.1
केरल	9.95	9.08	8.7
मध्य प्रदेश	19.96	18.97	5.0
महाराष्ट्र	11.6	16.21	-39.7
ओडिशा	18.28	11.92	34.8
पंजाब	3.51	3.14	10.5
राजस्थान	37.52	31.57	15.9
तमिलनाडु	40.87	30.61	25.1
तेलंगाना	12.09	12.22	-1.1
उत्तार प्रदेश	34.52	33.63	2.6
उत्तराखंड	1.97	1.9	3.6
पश्चिम बंगाल	0	0	0
कुल	**288.83**	**268.44**	**7.1**

अनुलग्नक 2

करोड़ों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी श्रमिक			सक्रिय श्रमिक			ए.बी.पी.एस. के लिए अपात्र सभी श्रमिकों का %	ए.बी.पी.एस. के लिए अपात्र सक्रिय श्रमिकों का %
	कुल श्रमिकों की संख्या	एबीपीएस के लिए पात्रता	एबीपीएस के लिए अपात्र	कुल श्रमिकों की संख्या	एबीपीएस के लिए पात्रता	एबीपीएस के लिए अपात्र		
महाराष्ट्र	2.99	1.09	1.89	0.74	0.7	0.03	63.44%	4.75%
गुजरात	0.98	0.41	0.57	0.23	0.23	0	58.10%	0.27%
झारखंड	1.03	0.64	0.39	0.36	0.35	0	38.11%	1.21%
हरियाणा	0.25	0.16	0.09	0.07	0.07	0	35.27%	2.28%
तेलंगाना	1.05	0.69	0.35	0.55	0.54	0.01	33.69%	1.02%
बिहार	2.52	1.69	0.84	0.88	0.83	0.05	33.14%	5.35%
कर्नाटक	1.8	1.21	0.6	0.73	0.73	0.01	33.07%	0.70%
मध्य प्रदेश	1.77	1.27	0.5	0.98	0.98	0	28.31%	0.14%
हिमाचल प्रदेश	0.28	0.21	0.08	0.13	0.13	0	27.39%	0.59%
राजस्थान	2.31	1.74	0.57	1.13	1.12	0	24.72%	0.11%
जम्मू और कश्मीर	0.24	0.19	0.05	0.15	0.14	0	21.70%	1.73%
पंजाब	0.3	0.23	0.06	0.14	0.13	0.01	21.49%	5.10%
केरल	0.57	0.47	0.1	0.22	0.22	0	17.42%	0.02%
पश्चिम बंगाल	2.56	2.13	0.44	0.18	0.16	0.02	16.99%	12.61%
ओडिशा	1.06	0.96	0.11	0.63	0.62	0.01	9.95%	1.64%
उत्तार प्रदेश	2.24	2.03	0.21	1.17	1.15	0.03	9.42%	2.23%
छत्तीसगढ़	0.79	0.76	0.03	0.59	0.59	0	4.05%	0.81%
तमिल नाडु	1.1	1.06	0.04	0.88	0.88	0	3.62%	0.04%
उत्तराखंड	0.16	0.15	0	0.09	0.09	0	2.58%	0.76%
आंध्र प्रदेश	1.23	1.21	0.02	0.92	0.92	0	1.89%	0.07%
कुल	25.22	18.28	6.94	10.79	10.62	0.17	27.52%	1.58%